अध्याय 4

कार्यपालिका

कार्यपालिक का अर्थः—

- सरकार के उस अंग से है जो कायदे—कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते है।
- सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री य मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी आते है।
- राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते है।
- स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज—रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते है, को सम्मिलित किया जाता है।
- अमेरिका में अध्याक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है।
- कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- फ्रांस में राष्ट्रपति ओर प्रधानमंत्री अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है।
- इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- रूस में एक अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है।

evidyarthi
https://www.evidyarthi.in

- अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राजील और लेटिन अमेरकिा के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है।
- संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाममात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है।
- अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है।

भारत में संसदीय कार्यपालिकाः–

- हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था।
- अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्यूंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ–साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगें हो।
- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया।
- भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति, औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते है।
- औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से, निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है।
- संसद, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है

https://www.evidyarthi.in

राष्ट्रपति की शक्ति और स्थितिः–

– एक औपचारिक प्रधान हैः राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी (कानून बनाना) कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकारः–

संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार

1. सदनों को पुर्नविचार के लिए लौटा सकता है।
2. वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलम्ब।
3. चुनाव के बाद कई नेताओं के दावें के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा।

आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है?

– संसदीय व्यवस्था मे, समर्थन न रहने पर, मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकें।

– राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं।

– भारत का उपराष्ट्रपतिः पांच वर्ष के लिए चुना जाता है, जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषदः–

– प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है।

– प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालयों का आबंटन करता है। इसी कारण वह मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है

– प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है

https://www.evidyarthi.in

तो उसे छह महीने के भीतर ही ससंद (किसी भी सदन) के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है।

– मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए: संविधान के 91 वे संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यो की संख्या लोकसभा या राज्यों की विधानसभा की कुल सदस्या संख्या का 15% से अधिक नही होनी चाहिए।

– मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरूद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

– प्रधानमंत्री का स्थान, सरकार में सर्वोपरि है: मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है।

– प्रधानमंत्री सरकार की धुरी: प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करता है वह संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारें में राष्ट्रपति को सूचित करता है।

प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत

मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण	लोकसभा का नेतृत्व	मीडिया तक पहुंच	चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि	अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य	विदेषी यात्राओं के दौरान नेता की छवि	पॉकेट बॉक्स

– गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफी परिवर्तन आ गए है। 1989 से भारत में हमने गठबंधन सरकारों का युग देखा है। इनमें से कुछ सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी सत्ता में न रह सकीं। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना एक दल के बहुमत वाली सरकार में होता है:–

https://www.evidyarthi.in

प्रधानमंत्री पद की शक्तियो में आए बदलावः–

1. प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है।
2. राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है।
3. प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है।
4. सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती है।

राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूपः–

– राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो (केन्द्रीय सरकार की सलाह पर) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।
– मुख्यमंत्री विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है।
– बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केन्द्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है।

स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही):–

कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन, सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते है।

– नौकरशाही में सरकार के स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं।
– भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारे आती जाती रहती है ऐसी स्थिति में, प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करें।
– नौकरशाही के सदस्यों का चुनावः नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) को सौंपा गया है।
– ऐसा ही लोकसेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए है जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है।

https://www.evidyarthi.in

- लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है।
- लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता को आधार बनाकर की जाती हैं संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ–साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है।

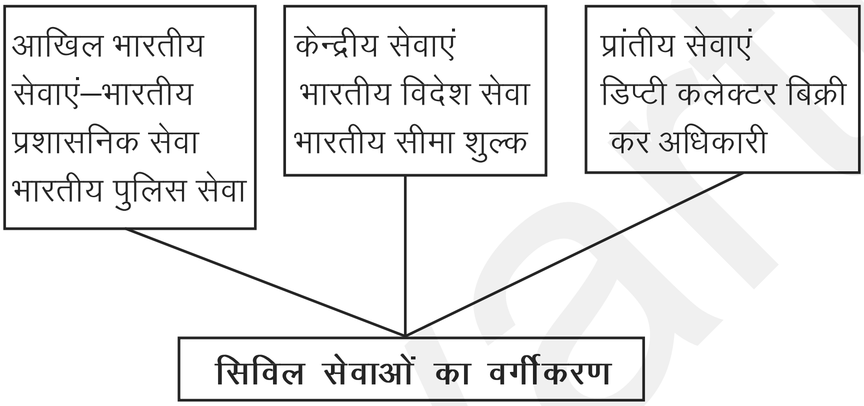

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिलाधिकारी (कलेक्टर) उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये समान्यतः आई ए एस स्तर का अधिकारी होता है।

नोटः– पॉकेट वीटो (Pocket Veto) – जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद III के अर्न्तगत पुर्नविचार को भी नहीं लौटाता है ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है।

https://www.evidyarthi.in

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है?
2. कार्यपालिका में मुख्यतः किन–किन लोगों को सम्मिलित किया जाता है?
3. भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या है?
4. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए
5. अर्धअध्याक्षात्मक कार्यपालिका भारत के किस पड़ौसी देश में पाई जाती है?
6. अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रावधान का उल्लेख किया गया है?
7. भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख?
8. राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।
9. राष्ट्रपति को प्राप्त 'वीटो की शक्ति' से क्या अभिप्राय है?
10. भारत में गठबंधन की सरकारों का युग कब से शुरू हुआ।
11. संविधान के 91 वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित किस प्रावधान को सम्मिलित किया गया है?
12. किस व्यक्ति ने सरकार की ''केन्द्रीय धुरी, प्रधानमंत्री है,'' की संज्ञा दी।
13. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
14. राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है?
15. स्थायी कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है?
16. भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्यभार किसे सौंपा गया है?
17. जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. कार्यपालिका के किन्हीं दो रूपों का वर्णन करों।
2. सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं?
3. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है?
4. 'राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है' स्पष्ट करो?
5. ''मंत्रीगण एक साथ तैरते है तथा एक साथ डूबते हैं'' इस कथन का क्या आशय है?

https://www.evidyarthi.in

6. ''प्रधानमंत्री'' किन शक्तियों पर निर्भर करता है। कैसे?

7. ''राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है''। कैसे?

8. ''भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है'' स्पष्ट करें।

9. समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सकें इस उद्देश्य के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए है?

10. ''नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है'' क्या आप इस कथन से सहमत है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थाई कार्यपालिका में चार अंतर बताएं।

2. संसदीय कार्यपालिका की चार विशेषताएं बताएं।

3. ''अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है'' कैसे?

4. राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों का वर्णन करो।

5. राष्ट्रपति के दो विशेषाधिकारों की व्याख्या करो।

6. ''प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता।'' क्यों?

7. ''प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है'', स्पष्ट करों।

8. गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़े हैं?

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. संविधान ने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी लेकिन उसके पद की प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता था और न ही एकदम नाममात्र का प्रधान''।

   क. **निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो–**

      (1) ''संविधान में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी'' क्यों?

      (2) संविधान राष्ट्रपति को किस प्रकार का प्रधान बनाना चाहता है?

      (3) वास्तविक शक्तियां किसको प्रदान की गई है?

https://www.evidyarthi.in

ख. **निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो–**

(1) चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा हे? उसके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है?

(2) किन्हीं दो नेताओं को पहचाने उनके नाम लिखे।

(3) प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण लिखे।

ग. **निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो–**

(1) विश्वास मत से क्या अभिप्राय है?

(2) सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है?

(3) ''विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इस कथन का क्या अभिप्राय है।

https://www.evidyarthi.in

छः अंकीय प्रश्नः—

1. राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करों।
2. क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है'' तीन उचित तर्क दीजिए।
3. जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तब प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाता है? ऐसे में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4. आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है?
5. नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका की किस प्रकार से सहायता करती है?

https://www.evidyarthi.in

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है।
2. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही।
3. भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्षा रूप से चुना हुआ अध्यक्ष है जबकि इंग्लैंड की रानी राजतंत्रीय पद्वति के द्वारा बनी राष्ट्राध्यक्ष है।
4. जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधानपालिका दोनों का ही अध्यक्ष होता है।
5. श्रीलंका
6. 74(1) राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए उनकी सलाह के अनुसार काम करेगा।
7. जब किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसे सदन का बहुमत प्राप्त हो।
8. आमतौर पर राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो।
9. इसमें राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है।
10. 1989
11. मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होती।
12. प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू।
13. राष्ट्रपति।
14. असंवैधानिक कार्य के लिए।
15. जो लोग अपनी योग्यता ओर दक्षता के बल पर चुने जाते है और एक निश्चित कार्यकाल तक वे अपने पद पर बने रहते है।
16. संघ लोक सेवा आयोग।
17. भारतीय प्रशासनिक सेवा।

https://www.evidyarthi.in

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (संक्षिप्त वर्णन)
2. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देता पड़ता है।
3. जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति
   (1) अध्यादेश जारी कर सकता है।
   (2) यदि देश पर आक्रमण हो जाए।
   (3) यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए।
4. क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद करती है।
5. यदि एक मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाएं तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र देने को कहता है यदि वह त्यागपत्र न दें तो प्रधानमंत्री स्वंय अपना त्याग पत्र दे देता है और सरकार गिर सकती है।
6. जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली हो जाता है परंतु जब बहुमत नहीं होता तो उसे सभी काम सहयोगी दलों के नेताओं से सलाह करके करने पड़ते है।
7. क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है इसीलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है।
8. भारत में लोकसेवक प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते है वे अपने–अपने विषय में पारंगत होते है इसलिए नीतियों को बनाने और लागू करने में वे राजनीतिज्ञों की सहायता करते है।
9. संविधान में दलित तथा आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया।
10. हाँ, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य दक्ष और निपुण होते है और वे राजनीतिज्ञों को नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते है।

4 अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राजनीतिक कार्यपालिका– 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, समय से पहले भी हटाई जा सकती है। अपने कार्यों में निपुण नहीं होते।

   स्थाई कार्यपालिका–रिटायरमेंट की आयु तक काम करते है अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करते है।

https://www.evidyarthi.in

2. – सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री
– राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा या रानी
– विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री
– विधायिका के प्रति उत्तरदायी

3. अध्यक्षात्मक– देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचन, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना।

4. विधायी कार्यपालिका, न्याय संबंधी, तीनो सेनाओं का सेनापति।

5. (1) वीटो (2) गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री का चुनाव

6. क्योंकि केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। गठबंधन के समय भी जिस व्यक्ति को सदन का विश्वास प्राप्त होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।

7. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, सदन की कार्यवाहियों से अवगत कराता है और सदन को राष्ट्रपति का संदेश देता है।

8. राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श बढ़ा है
– मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता
– नीतियों और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकता
– मध्यस्थ की भूमिका बन गई है।

5 अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (क) 1. क्योंकि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियां दी जाती है।
2. प्रभुता पूर्ण ओर गारिमामय
3. प्रधानमंत्री

(ख) 1. पं. जवाहर लाल नेहरू क्योंकि वो प्रधानमंत्री है
2. अध्यापक की सहायता से पहचानें व उत्तर दें।
3. – क्योंकि वह बहुमत दल का नेता है
– वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है।

(ग) 1. सदन में बहुमत
2. संसद के प्रति उत्तरदायी
3. क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यदि दल छोड़ दें तो फिर से वहीं संकट आ जाएगा।

https://www.evidyarthi.in

छः अकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. स्थिति – राष्ट्र का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, नाममात्र की शक्तियां।

2. हां, क्योंकि

   (1) संविधान में ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 74 (1)

   (2) क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित प्रधान नहीं है।

   (3) प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी है।

3. तब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो सदन में बहुमत प्राप्त कर लेता है प्रधानमंत्री की एकाधिकारवादी शक्तियां कम हो जाती है और विचार–विर्मश अधिक हो जाता है।

4. – मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण
   – अधिकारी वर्ग पर अधिपत्य
   – लोकसभा का नेतृत्व
   – मीडिया तक पहुंच
   – चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार,
   – अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि
   – विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि

5. नौकरशाही मंत्रियों को नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में सहायक, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं (कोई अन्य)।

https://www.evidyarthi.in